

न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यवहार वाद क0-20ए/2013
संस्थापित दिनांक-09.05.2013
फाईलिंग नं. 233504000052013

1. रामचरण पिता शोभाराम राठौर, उम्र 93 वर्ष,
2. संजय पिता रामचरण राठौर, उम्र 49 वर्ष,
दोनों-जाति तेली, नि0 वार्ड कं0 2, आमला,
तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।

-----वादीगण

-:: विरुद्ध ::-

- 1- सुरेश पिता भैयालाल, उम्र 51 वर्ष,
- 2- बसंता पिता गेंदलाल, उम्र 71 वर्ष,
दोनों-जाति तेली, नि0 वार्ड कं. 2, आमला,
हॉल नि0 वार्ड कं 1 महेश साहू गोदाम के पीछे व्यकंट बाबा
के सामने आमला जिला बैतूल म0प्र0।

-----प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 29.09.2016 को घोषित)

- 1- वादीगण ने प्रतिवादगण के विरुद्ध विवादित भूमि ग्राम मौजा आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 214/1, 214/2 कुल रकबा 0.053 हे0 भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी तथा उक्त खसरा रकबा नं. पर रिक्त पड़ी भूमि पर 40X14 व 31X15 वर्गफिट भूमि का अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने एवं उसका आधिपत्य प्राप्ति हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है।
- 2- वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी कं. 1 वर्ष से अधिक अवस्था का होकर बहुत ही कमजोर हो गया है जिसके लिए उसका पुत्र वादी कं. 2 अचल सम्पत्ति की देख रेख करता है। दोनों वादियों का शामिल शरीक हिन्दू परिवार है। वादी कं. 2 वादी कं. 1 का पुत्र होकर वादी के साथ निवास करता है। वादी के अन्य पुत्र बैतूल में एवं सारणी में रहता है। वादी एक के द्वारा दिनांक

15/05/1968 को ख.नं. 245/2 रकबा 0.13 एकड़ याने 0.053 आरे स्थित मौजा आमला तत्कालिन तहसील मुलताई जिला बैतूल की भूमि विक्रेता श्रीमति सुंदरबाई बेवा रामप्रसाद राठौर सा0 आमला वाली से 600 में पंजीकृत बैनामें से खरीदकर कब्जा पाया था उस वक्त की खरीदी जमीन के उत्तर में बाबू व0 छोटे वो रामचरण की बाड़ी, दक्षिण में नंगा साव का मकान, पूर्व में टीकाराम वो नान्हु की बाड़ी पश्चिम में रास्ता है। वादी एक द्वारा खरीदी गई ख0नं0 245/1 दो सौ पैतालीस बटा एक रकबा 0.053 अब राजस्व खातों ने दो नम्बरों में विभक्त कर दी गई है। जो इस प्रकार हैं खसरा नम्बर कमशः 214/1 एवं 0.013 कुल योग 0.053 आरे जमा कुल 12.10 पैसे मौजा आमला तह0 आमला तह0 आमला जिला बैतूल हो गया है।

3— वादीगण ने आगे अपने दावे में बताया है कि वादी एक की उक्त उपर वर्णित सम्पत्ति की देख-रेख व व्यवस्था आदि वादी कं. 2 के द्वारा की गई जाती रही है। वादीगणों की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण ने खसरा नं. 214/1 एवं 214/2 जो कि एक ही प्लॉट की भूमि है। जिसमें अलग-अलग खसरा नम्बरों को दर्शाने वाली कोई मेड़ कायमी नहीं है कि भूमि $31 \times 15 = 465$ वर्गफुट पर एक कच्चा निर्माण तथा प्रतिवादी कं. 2 ने भी $40 \times 41 = 560$ वर्गफुट पर एक कच्चा निर्माण किया। जिस पर सिमेंट शीट एवं खपरे डालकर रहवास योग्य बना लिया था। जो जिर्ण शीर्ण होकर गिरने की स्थिति में है। प्रतिवादीगणों द्वारा आपस में साठ-गाठ कर वादीगणों को क्षति पहुँचाने के आशय से उनकी जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर निर्माण करीब 2 वर्ष पूर्व माह दिसम्बर में करना शुरू किया था जिन्हें वादी कं. 2 के द्वारा मना भी किया गया था, परन्तु प्रतिवादीगणों के द्वारा जोर जबरदस्ती से मारपीट करने की धमकी देकर निर्माण कर लिया जिसके लिए प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था वादीगण शांती प्रिय व्यक्ति हैं उन्हें इस बात की आशा थी कि प्रतिवादीगण उनके निर्माण को हटा लेंगे, परन्तु अतिक्रमण हटाने के कारण वादी एक ने अपनी जमीन की पैमाईश कराई जिसकी रिपोर्ट 12/3/13 दिनांक के अनुसार प्रतिवादीगणों का वादी एक की जमीन पर अतिक्रमण बताया गया है प्रतिवादीगणों के अतिक्रमण को वाद के द्वारा स्पष्ट और समझने की दृष्टि से मौके का नजरी नक्शा बनाया जाकर वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जो वाद पत्र का अंग है। वाद नक्शे में प्रतिवादी कं. 1 अतिक्रमण किया हुआ भाग संख्या 9,10,11,12 जो $31 \times 15 = 465$ वर्गफुट दर्शाया गया है। उसी प्रकार प्रतिवादी कं0 2 द्वारा किया गया अतिक्रमण वाद पत्र संलग्न नक्शे में संख्या 5,6,7,8 जो $40 \times 14 = 560$ वर्गफुट दर्शाया है।

4— वादीगणों के द्वारा प्रतिवादीगणों को अनेक बार उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु कहे जाने पर भी वादी एक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया। प्रतिवादीगणों के द्वारा वादी की भूमि में वादीगणों के

आने जाने का जो रास्ता नजरी नक्शे में ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है, को भी करीब 6 माह पूर्व रोक दिया गया है। जिसे रोकने के लिए प्रतिवादीगणों को कोई विधिक अधिकार नहीं है। रास्ते के रोकें जाने से वादीगणों को उनकी स्वत्व स्वामित्व और आधिपत्य की जमीन में आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणों व अन्य लोगों की शिकायत थाना प्रभारी आमला अनुविभागीय अधिकारी मुलताई तहसीलदार आमला को भी की गई थी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की सबब इस प्रकार वादीगण यह दावा स्वत्व की उद्घोषणा, आधिपत्य की प्राप्ति हेतु और सुखाधिकार अधिनियम के तहत रास्ता खुलवाने हेतु प्रस्तुत करते हैं।

5— प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वाद पत्र का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जबाव में व्यक्त किया है कि कंडिका 2 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों की सम्पत्ति होने से तदनुसार उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का 50 सालों से कब्जा आधिपत्य तथा स्वत्व निरन्तर रहा है। उक्त रास्ता प्रतिवादीगण के उपयोग का है जिसे प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही उपयोग, उपभोग निरन्तर करते चले आ रहे हैं। उक्त परिवर्तित भूमि का नगर पालिका टेक्स प्रतिवादीगण द्वारा बरसों से दिया जा रहा है। वाद का मूल्यांकन विधिनुसार न कर न्याय शुल्क पर्याप्त रूप से अदा नहीं किया गया है। जिस कारण से उक्त वाद निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आधारों पर वादीगण का वाद पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

6— दिनांक 17/08/16 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

7— वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एक पक्षीय निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:—

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

1— “क्या मौजा आमला, जिला बैतूल स्थित खसरा नं. 214/1, 214/2 कुल रकबा 0.053 हे0 भूमि वादी कं. 1 के स्वत्व एवं आधिपत्य की है?

2—“क्या प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नं. 214/1 व 214/2 की भूमि पर जो कि वाद नक्शे में 5,6,7,8 व 9,10,11,12 से दर्शित है, की रिक्त भूमि 40X14 व 31X15 वर्गफुट पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया है, यदि हाँ तो प्रभाव?

3-“क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आने-जाने के रास्ते जो कि वाद नक्शे में ए,बी,सी,डी, से दर्शित है, अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है?

4-“क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है?

5- सहायता एवं वाद व्यय?

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

—::विचारणीय प्रश्न कं0-1 का निराकरण::—

8- वादी साक्षी संजय (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके पिता द्वारा 15/05/1968 को सुंदरबाई बेवा रामप्रसाद से भूमि क़य की थी, उसके पिता ने 0.053 हे0 भूमि क़य की थी जो उसके पिता के नामे आ गई थी, जिसका खसरा नं. 214/1, 0.040 हे0 एवं ख.नं. 214/2, 0.013 हे0 भूमि इस तरह कुल 0.053 हे. भूमि वार्ड नं. 2 तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित है। उक्त तथ्या प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रहें हैं। इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में प्रश्न किया गया है कि विवादित भूमि का खसरा नं0 क्या है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि 214/1 और 214/2 है। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि आपके पिता की खरीदी गई जमीन का खसरा नं. क्या है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि पहले 245 था और नया 214/1 और 214/2 है। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि पिता की खरीदी जमीन पहले 245 और नया 214/1 एवं 214/2 के दस्तावेज पेश किया है क्या? तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि रजिस्ट्री पहले से पेश की है नक्शा और खसरा किश्तबंदी जो तहसील से मिला है वह पेश की है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि उसके पिता के द्वारा खरीदी गई जमीन सुंदरबाई से खरीदी है।

9- आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 14 में प्रश्न किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण का खसरा नं. ओर बैनामा का खसरा नं. एक है क्या तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि पुराना जिस समय खरीदा था खसरा नं. 245/1 था जिसका नया नं. 214/1 और 214/2 है। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि खसरा नं 214/1 और 214/2 का रकबा क्या है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि खसरा नं. 214/2 का रकबा 0.040 और 214/2 का रकबा 0.013 है, कुल 0.053 है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि 245/1 ख की चतुरसीमा

बता सकता है तो इस गवाह ने बताया है कि पूर्व में टीकाराम की बाड़ी, पश्चिम में रोड है और उत्तर में उसकी स्वयं की जमीन है और दक्षिण में गेंदू ओर नंगा का मकान है। इस प्रकार इस गवाह की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खसरा नं. 214/1 रकबा 0.040 हे० एवं खसरा नं. 214/2 रकबा 0.013 हे० भूमि जिसका पुराना खसरा नं. 245/1 रकबा 0.053 हे० भूमि वादी क्रं. 1 स्वत्वधारी है।

10— वादी साक्षी कल्लु राठौर (वा०सा०-2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके काका द्वारा दिनांक 15/05/1968 को सुंदरबाई बेवा रामप्रसाद से भूमि 0.053 हेक्टेयर क़य की थी जो उसके काका के नाम से आई थी जिसका खसरा नम्बर क्रमशः 214/1 एवं 214/2 रकबा क्रमशः 0.040 एवं 0.013 हेक्टे० भूमि इस तरह कुल 0.053 हे० भूमि वार्ड नम्बर 2 आमला, जिला बैतूल में स्थित है जिसके उत्तर में बाबू व रामचरण की बाड़ी, दक्षिण में नंगा साव, पूर्व में टीकाराम एवं नान्हू, पश्चिम में रास्ता है। उसने उसके काका के जमीन के कागज देखे हैं उस आधार पर जानकारी दे रहा है। उक्त जमीन की व्यवस्था संजय के द्वारा की जाती है क्योंकि उसके काका वृद्ध और बीमार होने के कारण कुछ नहीं कर पाते। जबसे उसने होश सम्भाला है उसके काका और उनके बच्चे क़यशुदा भूमि पर काबिज होकर शांति पूर्वक उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त तथ्य को प्रतिवादीगण की ओर से न तो खंडन किया गया है ना तो चुनौती दी गई है। इस प्रकार यही माना जायेगा वादी रामचरण के द्वारा दिनांक 15/05/68 को विवादित भूमि खसरा नं. 214/1 एवं 214/2 कुल रकबा 0.053 हे. भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क़य की गई है जो कि वादी उसका स्वतत्त्वधारी है।

11— वादी ने अपने समर्थन में प्र०पी० 1 का नक्शा प्रस्तुत किया है। प्र०पी० 2 एवं प्र०पी० 3 खसरा, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012-13 प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 214/1 रकबा 0.040हे० एवं खसरा 214/2 रकबा 0.013 हे० भूमि कब्जेदार एवं भूमिधारण के रूप में वादी रामचरण के नाम से उल्लेख है। प्र०पी० 6 का दस्तावेज आवेदक की भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के संबंध में थाना प्रभारी आमला को शिकायत की गई हैं। प्र०पी० 7 का दस्तावेज तहसीलदार आमला के समक्ष पटवारी के माध्यम से खसरा नं. 214/1 एवं 214/2 भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्र०पी० 8 का दस्तावेज कलेक्टर बैतूल के द्वारा जन सुनवाई में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में एसडीओ को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। प्र०पी० 12 का दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अवैध निर्माण कार्य को रोके जाने हेतु आवेदन दिया गया है। प्र०पी० 13 का दस्तावेज थाना प्रभारी आमला को भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने और रास्ता रोकने की जांच विषयक आवेदन

प्रस्तुत किया गया है। प्र0पी0 10 का दस्तावेज सूचना पत्र है जिसमें कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है।

12— प्र0पी0 19 का दस्तावेज जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03/04/1970 जिसमें विक्रेता सुंदरीबाई क्रेता रामचरण के द्वारा खसरा नं. 245/1 'ख' रकबा 0.013 एवं प्र0पी0 20 का दस्तावेज जो कि रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 15/05/68 जिसमें क्रेता रामचरण एवं विक्रेता श्रीमति सुंदर बाई बेवा रामप्रसाद खसरा नं. 245/1 "ख" रकबा 0.013 हे का उल्लेख है। उसी प्रकार प्र0पी0 21 का दस्तावेज वर्ष 1971-72 में पुराना खसरा नं. 245/1 रकबा 0.13 याने 0.053 आरे भूमि और नया खसरा नं. 214 रकबा 0.40 आरे /0.013 आरे का उल्लेख है और प्र0पी0 22 का दस्तावेज ऋण पुस्तिका जिसमें खसरा नं. 214/1 रकबा 0.040 आरे और खसरा नं. 214/2 रकबा 0.013 आरे का उल्लेख है।

13— इस प्रकार प्र0पी0 19 एवं प्र0पी0 20, प्र0पी0 21, 22 के दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 214/1 और 214/2 का रकबा 0.53 हे0 भूमि वादी कं0 1 के स्वत्व व आधिपत्य की है।

14— उर्पयुक्त किए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौजा आमला, जिला बैतूल में स्थित खसरा नं. 214/1, 214/2 का कुल रकबा 0.053 हे0 भूमि वादी कं0 1 के स्वत्व व आधिपत्य की है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 1 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 2 का निराकरण

15— वादी साक्षी संजय (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसकी सर्विस लग गई है पिता बिमार रहते है उसका पुत्र बाहर पढाई करता है उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण ने खसरा नं 214/1 एवं 214/2 जो कि एक ही प्लॉट की भूमि है जिसमें अलग-अलग खसरा नं. को दर्शाने वाली कोई मेढ़ कायम नहीं है। भूमि 21 गुणित 15 बराबर 465 वर्गफुट पर एक कच्चा निर्माण तथा प्रतिवादी कं.2 ने भी 40 गुणित 41 बराबर 560 वर्गफुट पर एक कच्चा निर्माण किया जिस पर सीमेंटशीट एवं खपरे डाल कर रहवास योग्य बना लिया था जो जीर्ण क्षीर्ण होकर गिरने की स्थिति में है। प्रतिवादीगण द्वारा आपस में सांठगांठ कर वादीगण को क्षति पहुँचाने के आशय से उनकी जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर निर्माण करीब दो वर्ष पूर्व माह दिसम्बर में करना शुरू किया था जिन्हें वादी कं0 2 के द्वारा मना भी किया था, परंतु प्रतिवादीगण के द्वारा जोर जबरदस्ती से मारपीट करने की धमकी देकर निर्माण कर लिया। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है।

16— वादी साक्षी मुस्तफा (वा0सा0-2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि

संजय के द्वारा उसके पिता रामचरण की जमीन कि चतुर्सीमा जानने के लिए मार्च 2013 में जमीन की नपाई करवायी थी तब नपाई में उनकी जमीन पर सुरेश और बसंत का अतिक्रमण निकला था जो नपाई करने वाले अधिकारियों ने अपने रिपोर्ट में लिखा था। नपाई के समय वह भी और कई लोग थे परन्तु नपाई पंचनामों पर उसके हस्ताक्षर नहीं हो पाये थे क्योंकि उसे उसके कार्य हेतु जल्दी लौटना था। मौके पर नपाई में सुरेश का करीब 465 वर्गफीट पर अतिक्रमण पाया था एवं बसंत का करीब 560 वर्गफीट पर अतिक्रमण पाया था। उक्त साक्ष्य को प्रतिवादीगण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है।

17— वादी साक्षी कल्लू राठौर (वा0सा0-3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके काका की जमीन की नपाई उनके पुत्र संजय के द्वारा मार्च 2013 में कराई गई थी तब जानकारी लगी की बड़े टुकड़े में सुरेश ने करीब 465 वर्गफुट पर एवं बसंत ने छोटे रकबे वाली जमीन पर करीब 560 वर्गफुट पर अतिक्रमण कर कच्चे मकान बनाये पाये गये जिसकी जानकारी नपाई करते समय पाई गई। नपाई उसके सामने हुई थी। जिसका पंचनामा बना था जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे, उसके समक्ष संजय के द्वारा सुरेश और बसंत को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा तो झगड़ा करने को आमदा हो गये। उसके काका को उनकी जमीन उन्हें मिलना चाहिए। उक्त साक्ष्य को प्रतिवादीगण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है।

18— इस प्रकार वादी साक्षी संजय (वा0सा0-1) की साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रहने एवं वादी साक्षी मुस्तफा (वा0सा0-2), वादी साक्षी कल्लू राठौर (वा0सा0-3) की साक्ष्य को खंडन न करने के कारण यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खसरा नं. 214/1 एवं खसरा नं. 214/2 की भूमि 40X14 व 31X15 वर्गफुट पर प्रतिवादीगण के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया है।

19— वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी0 9 का दस्तावेज प्रस्तुत किया है जो तहसीलदार आमला के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन है। खसरा नं. 214/1 तथा 214/2 के बीच कोई मेढ नहीं है कुल रकबा 0.053 हे0 भूमि का सीमांकन किया गया है। आवेदक की भूमि में से $31 \times 15 = 465$ वर्गफुट पर सुरेश वल्द भैयालाल का मकान तथा $40 \times 14 = 560$ वर्गफुट वर्गफिट पर बसंत वल्द गेंदलाल का मकान बनाकर अवैध काबिज है उसी प्रकार प्र0पी0 10 का दस्तावेज स्थल पंचनामा में भी उक्त तथ्यों का ही उल्लेख है। प्र0पी0 11 का दस्तावेज नक्शा जो कि लाल स्याही से दर्शित है जो कि अवैध कब्जा को दर्शित करता है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से यही स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 214/1 व 214/2 की भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा $40 \times 14 = 560$ वर्गफुट व $31 \times 15 = 465$ वर्गफुट पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है।

20— साथ ही वादी ने नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें क्रमांक 5,6,7,8 में वादी की भूमि पर बंसत का $40 \times 14 = 560$ वर्गफुट भूमि पर अवैध कब्जा दर्शित किया है। उसी प्रकार नक्शे में क्रं. 9,10,11,12 दर्शित किया है जिसमें वादी की भूमि पर अवैध कब्जा $31 \times 15 = 465$ वर्गफुट भूमि पर सुरेश वल्द भैयालाल का कब्जा दर्शित किया है। उक्त नक्शे के संबंध में भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार यही स्पष्ट होता है कि वादी की भूमि पर वादपत्र में प्रस्तुत नक्शा अनुसार क्रं. 5,6,7,8 में $40 \times 14 = 560$ वर्गफुट भूमि पर एवं क्रं. 9,10,11,12 वादी की भूमि पर $31 \times 15 = 465$ वर्गफुट वर्गफिट भूमि में प्रतिवादी सुरेश का अवैध कब्जा है।

21— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादी की विवादित भूमि खसरा नं. 214/1 व 214/2 की भूमि पर वाद नक्शे में 5,6,7,8 व 9,10,11,12 से दर्शित भूमि में $40 \times 14 = 560$ वर्गफुट व $31 \times 15 = 465$ वर्गफुट भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 2 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं. 3 का निराकरण

22— वादी साक्षी संजय (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उन लोगों ने अतिक्रमण हटाने हेतु विधिक कार्यवाही की, किन्तु पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई सकारात्मक कार्य नहीं किये। प्रतिवादीगणों द्वारा किये गये अतिक्रमण से उनके आने जाने का रास्ता रोक दिया है। उनकी जमीन में से उनको ही जाने में परेशानी हो रही है, वह चाहते हैं कि उनकी जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाया जाये, और उनके आने जाने के सुखाधिकार के रास्ते को खोल दिया जाये और प्रतिवादीगण भविष्य में उनकी भूमि पर अतिक्रमण न करें। उक्त साक्ष्य को प्रतिवादीगण की ओर से खंडन नहीं किया गया है उक्त साक्ष्य को खंडन न करने के कारण यही माना जायेगा कि वादीगण के आने जाने का रास्ता जो कि वाद नक्शे में ए,बी,सी,डी से नक्शे में दर्शित है उस पर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 3 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं. 4 का निराकरण

23— वादी ने यह दावा घोषणा आधिपत्य तथा रास्ते को खुलवाने हेतु यह दावा पेश किया है। वादी द्वारा घोषणा हेतु मूल्यांकन 300/- जिसमें 500/-रूपये न्याय शुल्क चस्पा किया है और कब्जा हेतु वादी के वाद का मूल्यांकन 8000/-रूपये किया है जिस पर 960/-रूपये न्यायशुल्क चस्पा किया है। रास्ता

खुलवाने हेतु मूल्यांकन 200/-रूपये किया है जिस पर 20/-रूपये न्याय शुल्क चस्पा किया है कुल वादी के द्वारा 1480/-रूपये न्यायशुल्क चस्पा किया है जो कि उचित है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं0 4 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

24- वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः निम्न आशय की डिक्री एवं आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

- 1- यह घोषित किया जाता है कि वादी क्रं. 1 विवादित भूमि मौजा आमला, जिला बैतूल स्थित खसरा नं. 214/1 214/2 कुल रकबा 0.053 हे0 भूमि स्वत्व आधिपत्यधारी है।
- 2- वादीगण विवादित भूमि खसरा नं. 214/1 व 214/2 की भूमि वाद नक्शे में 5,6,7,8 व 9,10,11,12 से दर्शित है कि रिक्त भूमि $40 \times 14 = 560$ वर्गफुट व $31 \times 15 = 465$ वर्गफुट पर प्रतिवादीगण के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया है उसे वादीगण निर्माण कार्य को तुड़वाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- 3- वादीगण के आने जाने के रास्ते जो कि वाद नक्शे में ए,बी,सी,डी से दर्शित पर अवरोध उत्पन्न किया गया है उसे प्रतिवादीगण रास्ता खुलवाकर वादीगण के आने जाने के रास्ता का खोल देवें और पुनः अवरोध उत्पन्न न करें।
- 4- वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना वाद व्यय वहन करें।
- 5- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो।
उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

क०-२०ए/१३

10

व्यव०वाद